दूरभाषः 23468300
फैक्सः 23702440
directoriipa9@gmail.com

# भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
# इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,
# नई दिल्ली

## वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2020

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2020 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कार राशि निम्नानुसार हैः

**प्रथम पुरस्कारः 10,000/– रुपये**

**द्वितीय पुरस्कारः 7,000/– रुपये**

**तृतीय पुरस्कारः 5,000/– रुपये**

जिस प्रतियोगी को इस प्रतियोगिता में एक बार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वह प्रतियोगी दुबारा उसी श्रेणी या उससे निम्न श्रेणी के किसी पुरस्कार का हकदार नहीं होगा। निबंधों के संयुक्त लेखन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा संयुक्त रूप से लेखकों द्वारा लिखित किसी भी निबंध पर प्रतियोगिता के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतियोगिता के विषय हैं–

**i. कोविड तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली**

**ii. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजनाः सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)में सुधार**

**iii. प्रवास तथा रोज़गार सृजन**

निबंध लेखकों से अपनी प्रविष्टियों में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना अपेक्षित हैः

## विषय (1) :कोविड तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली

## शामिल किए जाने वाले मुख्य क्षेत्र

कोविड–19 विश्वव्यापी महामारी के कारण विश्वभर में अब तक आधा मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है और इसने दस मिलियन से भी अधिक लोगों को प्रभावित किया है, तथा यह लंबे समय तक यहाँ रहने वाली है। इसके भय ने विकासशील देशों को ही नहीं अपितु विश्व के उच्चस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं वाले देशों को भी अपनी जकड़ में ले लिया है। ये देश अभी भी कई महीने से लगे लॉकडाउन में ढील देने के दबाव में संघर्ष कर रहे हैं। कोविड–19 ने आर्थिक ही नहीं अपितु सामाजिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक तौर पर भी भारी नुकसान किया है। सामाजिक दूरी बनाए रखने, यातायात प्रतिबंधों तथा

क्वारंटाइन ने पूरे विश्व में आर्थिक क्षेत्रों को बाधित कर दिया है। कोविड–19 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रत्येक निर्माता अंग के सुदृढ़ीकरण को अनिवार्य बना दिया है, जैसे–

1.सेवा वितरण तथा चिकित्सा अवसंरचना (परीक्षण सुविधाएँ, अस्पताल बिस्तर, आई.सी.यू. बिस्तर तथा वेंटिलेटर आदि)
2. स्वास्थ्य कार्यबल ( चिकित्सा, पराचिकित्सा, ग्रासरूट स्तर के कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अपेक्षित गैर–चिकित्सा विशेषज्ञ सहित )
3. स्वास्थ्य सूचना पद्धति (महामारी विज्ञान संबंधी साक्ष्य, जनता के साथ संचार)
4. आवश्यक दवाइयों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उपकरणों तक पहुँच
5. वित्तपोषण (उपचार की लागत तथा आर्थिक लागत)
6. नागरिक केंद्रित एप्रोच वाला शासन/ नेतृत्व

निबंध लेखकों से अपेक्षित है कि वे विविध राज्यों की कोविड यात्रा यथा संक्रमण के भिन्न–भिन्न स्तर, अनुक्रिया और स्वास्थ्य लाभ द्वारा प्रतिबिंबित भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त में से किसी एक क्षेत्र पर फोकस कर चर्चा करें।

## विषय (2): एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजनाः सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)में सुधार

भारत में खाद्य राशनिंग तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1940 के अकाल के दौरान आरंभ हुए तथा 1970 में सार्वभौमिक खाद्य अधिकार कार्यक्रम के रूप में ये पुनर्जीवित हुए। उदारीकरण के उपरांत 1997 में, सार्वभौम खाद्य योजना को लक्ष्य किया गया जिसमें निर्धन तथा समाज के संवेदनशील वर्ग को शामिल किया गया था। तत्पश्चात्, 2013 में, सिविल सोसाइटी तथा न्यायिक अंतराक्षेपों के कारण संसद ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) पारित किया। इस अधिनियम ने भारत के दो–तिहाई ग़रीब परिवारों के लिए खाद्य के अधिकार को उनका कानूनी हक़ बना दिया।

भारत में खाद्य राशन पद्धति के लक्ष्य तथा कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए वैध लाभभोगियों की पहचान करने, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की मात्रा निश्चित करने, सर्वाधिक ज़रूरतमंद व्यक्ति को शामिल करने, इसको डिजिटाइज़ करने तथा प्रामाणिक बनाने के लिए इसके आरंभ से ही इसमें अनेक सुधार किए गए हैं। भारत में लगातार संचरण होता रहता है। देश के भीतर रोज़गार के लिए निर्धनों की गतिशीलता काफी जटिल तथा बहुमुखी है। भारत में बहुसंख्यक निर्धन परिवार अस्थायी अथवा मौसमी प्रवास करते हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ लोग गाँवों से शहरों की ओर मौसमी प्रवास करते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक कर्मियों के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान कृषि संकट, बेरोज़गारी, निर्धनता तथा प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप होने वाली संवेदनशीलता के कारण अधिकतर ग़रीब तथा पिछड़े राज्यों से ग़रीब लोगों की गतिशीलता बढ़ रही है।

निर्धन परिवारों में से, बड़ी संख्या में परिवार पुरुष सदस्य के प्रवास को प्राथमिकता देते हैं जबकि कुछ अपने परिवारों के साथ प्रवास करते हैं। निर्माण कार्य, ईंट भट्ठा, वृक्षारोपण, कृषि, उत्पादन, सेवाएँ तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्र आदि कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो प्रवासी श्रमजीवियों को समायोजित कर रहे हैं। अधिकतर इन क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ प्राप्ति में शामिल नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त अधिकांश निर्धनता–विरोधी, ग्रामीण रोज़गार, कल्याण तथा खाद्य सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच परंपरा से ही अधिवास आधारित थी और सरकार की सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और खाद्य योजनाओं पर लोगों की हकदारी को उनके मूल उद्गम स्थल तक सीमित करती थी। 2011 के जनगणना आँकडों से यह स्पष्ट पता चलता है कि भारत में आंतरिक प्रवास बड़ी मात्रा में होता है। ये आँकड़े बताते हैं कि 45.36 करोड़ लोग या भारत की कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत प्रवासी हैं। दूसरी

ओर, कार्य तथा रोज़गार के लिए प्रवास 10.22 प्रतिशत अर्थात् लगभग 4.3 करोड़ लोग हैं। इसी प्रकार, प्रवास तथा विशेषतः मौसमी या परिपत्र प्रवास के पैटर्न के संबंद्ध में सूचना एकत्रित करने का काम राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमजीवियों में सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। यद्यपि अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के अंतर्गत अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने का प्रावधान है किंतु स्रोत तथा लक्ष्य दोनों स्तरों पर राज्य सरकारें ऐसे श्रमिकों को पंजीकृत करने तथा उनके संबंध में डाटाबेस तैयार करने में असफल रही हैं।

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' एक ऐसी पहल है जो प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को देश की किसी भी उचित दर की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठाने में समर्थ करेगी तथा भारत में संवेदनशील प्रवासी श्रमिकों के जीवन में सुस्पष्ट परिवर्तन लाएगी। सरकार की यह पहल मौसमी तथा परिपत्र प्रवासी श्रमिकों को स्रोत तथा लक्ष्य दोनों स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराने में सहायता करेगी। उपरोक्त के प्रकाश में निबंध में निम्न पहलुओं पर फोकस किया जाना चाहिएः

- योजना का डिज़ाइन तैयार करने तथा कार्यान्वयन की संभावित कठोर ज़मीनी वास्तविकताएँ
- कार्य हेतु प्रवास करने वाले निर्धन परिवारों की गतिशीलता से संबंधित सही आँकडों तथा श्रमिकों को रोज़गार देने वाले अंतर्राज्यीय तथा अंतरराज्यीय गंतव्यों और क्षेत्रों की खोज संबंधित योजना की व्यवहार्यता
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए मूल निवासस्थान आधारित कानूनी पहलू।
- 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' पद्धति क्या है ?– के उत्तर उपलब्ध कराना।
- राशनकार्ड पोर्टबिलिटी पद्धति कैसे काम करेगी ?
- कितने राज्यों ने राशनकार्डों की अंतरराज्यीय पोर्टबिलिटी को शुरु कर दिया है ?
- राशन कार्ड पोर्टबिलिटी का अब तक का अनुभव कैसा रहा है?

## विषय (3) : प्रवास तथा रोज़गार सृजन

हाल के वर्षों में भारत के आंतरिक प्रवास की सक्रियता के तथ्य के अध्ययन ने नीति–निर्माताओं, शिक्षाविदों तथा शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। प्रवास पद का प्रयोग अपने सामान्य आवास में स्थायी तथा अर्धस्थायी परिवर्तन हेतु किए जाने वाले संचरण के लिए किया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों के 2030 के एजेंडा ने पहली बार सतत विकास में प्रवास के योगदान को पहचाना है। प्रवास सभी सतत विकास लक्ष्यों के लिए संगत एक क्रॉस कटिंग मुद्दा है। सतत विकास लक्ष्यों के 17 में से 10 ऐसे हैं जिनके लक्ष्य तथा सूचक प्रवास तथा गतिशीलता के संगत हैं। सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 10.7 में, भलीप्रकार से नियोजित तथा सुप्रबंधित प्रवास नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से लोगों के क्रमिक, सुरक्षित, नियमित तथा उत्तरदायी प्रवास और गतिशीलता को सुगम बनाने हेतु प्रवास का संदर्भ मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,210.2 मिलियन लोगों में से 455.8 मिलियन ( लगभग 37%) लोग अपने गत आवास स्थान से प्रवासी रिपोर्ट किए गए थे।

कोविड–19 के मध्य देश 1947 में भारत के विभाजन, जब 14 मिलियन से भी अधिक लोग अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर भारत तथा पाकिस्तान में क्रमशः विस्थापित तथा प्रवासित हुए, के पश्चात् अपने इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सामूहिक प्रवास देख रहा है। कोविड–19 विश्वव्यापी महामारी की घातीय

( exponential ) बढ़ोतरी को रोकने के उपाय स्वरूप लगाए गए लॉकडाउन ने अकुशल तथा अर्धकुशल प्रवासी श्रमिकों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। आई.ओ.एल. (2020) के आकलन में रिपोर्ट किया गया है कि भारत में जहाँ लगभग 90 प्रतिशत लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं वहाँ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लगभग 400 मिलियन लोगों के संकट के दौरान गहन निर्धनता में जाने का ख़तरा है। देश में यह अचानक रिवर्स पलायन इतना अधिक था कि भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रयास भी इस संकट के लिए उपयुक्त नहीं थे। प्राधिकारियों ने इन वंचित प्रवासियों के लिए शरणार्थी शिविर तथा क्वारंटाइन होम बनाए हैं तथा 6,00,000 प्रवासियों की देखभाल कर रहे हैं तथा दिल्ली सरकार की निःशुल्क राशन योजना तथा केंद्रीय सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 2.2 मिलियन व्यक्तियों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं।(बी.बी.सी. न्यूज़ दिल्ली, 22 अप्रैल, 2020)। प्रवासियों के लिए उनके कौशल के आधार पर अल्पावधि रोज़गार के अवसर सृजित करना केंद्रीय सरकार के आत्मनिर्भर अभियान का एक मुख्य फोकस होगा। केंद्र ने इस कार्यक्रम के अंगस्वरूप, छः राज्यों के 25,000 से भी अधिक प्रवासी श्रमजीवियों वाले 116 ज़िलों को 'आत्मनिर्भर जिलों ' के रूप में चुना है।( स्किल रिपोर्टर, 8 जुलाई, 2020)

लेखक श्रम प्रवास तथा रोज़गार, प्रवास तथा शहरीकरण, प्रवास का लिंग पैटर्न, प्रवासियों द्वारा धन प्रेषण तथा परिवार कल्याण, श्रम कानून में सुधार का प्रभाव, कोविड–19 के मध्य रिवर्स पलायन तथा प्रवास नीति, इन प्रवृत्तियों को शामिल करते हुए प्रवास तथा रोज़गार सृजन से संबंधित आँकडों का प्रयोग कर सकते हैं।

निबंध लेखकों से अपनी प्रविष्टियों में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना अपेक्षित हैः

## शामिल किए जाने वाले मुख्य क्षेत्रः

- प्रवास तथा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा
- प्रवास तथा शहरीकरण
- प्रवास, कौशल तथा रोज़गार
- लिंग तथा प्रवास
- प्रवास, धन भुगतान तथा परिवार कुशलता
- श्रम कानून में सुधार का आंतरिक प्रवासियों पर प्रभाव
- प्रवास तथा कोविड–19 के मध्य रिवर्स पलायन
- प्रवास नीति

## निबंध के सामान्य दिशानिर्देश

निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। निबंध लगभग 5000 शब्दों का होना चाहिए। प्रतियोगी को निबंध में प्रयुक्त शब्दों की कुल संख्या बतानी होगी अन्यथा निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5500 से अधिक शब्दों वाला निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। निबंध पृष्ठ के केवल एक ही तरफ दोहरे स्थान के साथ टाईप किया हुआ होना चाहिए। जिन प्रविष्टियों में इस निर्धारित मानदंड का अनुपालन नहीं किया

जायेगा, उन्हें अस्वीकृत माना जाएगा। कल्पित नाम के साथ निबंध की तीन प्रतियां जमा की जानी चाहिए। प्रतियोगी का पूरा असली नाम तथा पता एक अलग कागज़ पर दिया जाना चाहिए और यह कागज़ एक सीलबंद लिफाफे में रखा होना चाहिए जिस पर ऊपर कल्पित नाम के साथ ही निम्न शब्द अंकित होने चाहिए।

**वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2020**
**भारतीय लोक प्रशासन संस्थान**
**नई दिल्ली।**

सभी निबंध पंजीकृत डाक द्वारा निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002 को तथा इसकी सॉफ्ट कॉपी ई–मेल द्वाराः trgiipa@yahoo.co.in को भेजी जानी चाहिए। ये निबंध 31 अगस्त, 2020 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। लिफाफे के ऊपर "वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2020" लिखा होना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्णायक गण इन निबंधों पर अपना निर्णय देंगे और इनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। यदि प्राप्त निबंधों में से कोई भी निबंध आवश्यक मानक स्तर तक नहीं पहुंचता है तो संस्थान को यह अधिकार है कि वह किसी को भी पुरस्कार न दे। पुरस्कृत निबंध भारतीय लोक प्रशासन संस्थान तथा लेखक की संयुक्त बौद्धिक संपत्ति होंगे।

**कृपया ध्यान दें: अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के इच्छुक प्रतियोगी निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002 को लिख सकते हैं।**